



Telephones :

Director: 0184-2290501

SAO. : 0184-2291156

P.B.X : 0184-2209343, 2209308

Fax : 0184-2290480

E-mail : cssridirector@gmail.com

GST No: 06AAAAI 1830P1ZN

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,

जरीफा फार्म, काछवा रोड़, करनाल-132001 (हरियाणा)

ICAR-Central Soil Salinity Research Institute

(A Unit of Indian Council of Agricultural Research)

Zarifa Farm, Kachhwa Road,

KARNAL - 132001 (Haryana)



फा.सं. P-12/PS/RC/Multienterprise/2025

दिनांक: 29.5.2025

टैण्डर नोटिस संख्या-01/2025-26

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव की ओर से निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा निम्नलिखित मद के लिए इच्छुक फर्मों से सीलबन्द टैण्डर (single bid system off-line mode) आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य स्थल	टैण्डर जारी करने की तिथि	टैण्डर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	टैण्डर फार्म खोलने की तिथि	धरोहर राशि (रु)
1.	कृषि विविधीकरण परियोजना (Agricultural Multienterprise Project) 02 हेक्टेयर (5 एकड़) को दो वर्ष के लिए ठेके पर देने हेतु।	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	30.5.2025 सांय 5.00 बजे	11.6.2025 दोपहर 1.00 बजे तक	11.6.2025 अपराहन 3.30 बजे	20,000/-

सामान्य नियम एवं शर्त:-

टैण्डर संस्थान की वेबसाइट www.cssri.res.in पर प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त टैण्डर फार्म पूर्ण विवरण सहित उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सीलड टैण्डर कृपया आई.सी.ए.आर यूनिट- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के नाम भेजें और टैण्डर फार्म के साथ धरोहर राशि रु. 20,000/- का बैंक ड्राफ्ट ICAR Unit-CSSRI, Karnal के नाम लगाना अनिवार्य होगा, बगैर धरोहर राशि के टैण्डर फार्म मान्य नहीं होगा।

सीलड टैण्डर संस्थान में आकर टैण्डर बाक्स में डाला जाए। निविदा बाक्स सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखा हुआ है।

टैण्डर जारी करने की तिथि	30.5.2025 सांय 5.00 बजे
टैण्डर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	11.6.2025 दोपहर 1.00 बजे तक
टैण्डर फार्म खोलने की तिथि	11.6.2025 अपराहन 3.30 बजे

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

टेलीफोन नं. 0184-2209343

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
जरीफा फार्म, काछवा रोड़, करनाल-132001 (हरियाणा)
ICAR-Central Soil Salinity Research Institute, Karnal (Haryana)

टैण्डर नोटिस संख्या-01/2025-26

दिनांक: 29.5.2025

टैण्डर की नियम एवं शर्तें

कृषि विविधीकरण परियोजना 02 हैक्टेयर (5 एकड़) को ठेके पर देने के लिए नियम एवं शर्तें

1. ठेकेदार को कृषि विविधीकरण परियोजना में चलने वाली परियोजना के सभी फसल, जानवर एवं संबंधित घटक, संस्थान परियोजना संबंधित अधिकारी की देख-रेख में व उसकी सलाह के अनुसार लगाने होंगे।

कृषि विविधीकरण परियोजना के घटक -

- (1) अन्न उत्पादन (1.0 हैक्टेयर)
 1. धान-गेहूँ-मूंग फसल प्रणाली (0.33 हैक्टेयर)
 2. मक्का-गेहूँ-मूंग फसल प्रणाली (0.33 हैक्टेयर)
 3. धान-गेहूँ फसल प्रणाली (0.33 हैक्टेयर)
- (2) चारा उत्पादन (0.4 हैक्टेयर) - ज्वार एवं बरसीम ।
- (3) सब्जी उत्पादन (0.2 हैक्टेयर)- टमाटर, घीया, खीरा, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि।
- (4) फल उत्पादन (0.2 हैक्टेयर) - अमरुद एवं केला ।
- (6) मछली उत्पादन एवं अन्य संबंधित घटक (0.2 हैक्टेयर)

- तालाब की मुंडेर पर फलदार वृक्ष जैसे अमरुद, केला, आँवला एवं करौंदा लगा है तथा इनकी देख-रेख (गड़ढे बनाना, खाद डालना, पानी देना इत्यादि) अधिकारी की सलाह के अनुसार करनी होगी। फलदार वृक्षों के बीच खाली स्थान पर मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियाँ उगाई जानी हैं।

अन्य:-

- (1) **पशुपालन:** ठेकेदार अपने दूध देने वाले दो या तीन पशु (भैंस या गाय) पशुबाड़े में रख सकाता है। परन्तु संस्थान द्वारा दिए गए व्यस्क दुधारू पशुओं और ठेकेदार के दुधारू पशुओं की संख्या 06 से ज्यादा न हो। इसके अलावा ठेकेदार इनके छोटे बछड़ा/बछड़ी या कटड़ा/कटड़ी भी रख सकता है। ध्यान रहे कि कुल पशु संख्या दस पशुओं से ज्यादा न हो। ठेकेदार द्वारा पशुओं का बीमा करवाना अनिवार्य होगा।
- (2) **मुर्गी पालन** - संस्थान के अधिकारी की देख-रेख में उसकी सलाह के अनुसार करना होगा। ठेकेदार बतख पालन भी कर सकता है।
- (3) **कम्पोस्ट उत्पादन**
- (4) **जैविक गैस**

(5) इसके अलावा ठेकेदार एक या दो कोई अन्य घटक, संस्थान के अधिकारी की सलाह के बाद निदेशक महोदय की स्वीकृति से कर सकता है।

नोट:-

1. उपरोक्त घटकों के संचालन हेतु संस्थान दो हैक्टेयर जमीन, ऊपरलिखित पशु यार्ड, मुर्गी बाड़ा, मछली तालाब, गोबर गैस प्लांट आदि उपलब्ध करायेगा। इनके लिए प्रयुक्त होने वाली अन्य वस्तुओं की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
2. संस्थान परियोजना संबंधित अधिकारी की सलाह से फसलों एवं जानवरों का प्रबंधन संस्तुत की गई मानक तकनीक के अनुसार करना होगा।
3. खेत की जुताई एवं सामान की ढुलाई व अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को ट्रैक्टर संस्थान की तरफ से डीजल खर्च के आधार पर उपलब्धता के अनुसार दिया जा सकता है। इसका खर्च प्रति घन्टे या प्रति एकड़ के हिसाब से फार्म प्रबन्धक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार संस्थान में जमा करवाना पड़ेगा।
4. फसलों की सिंचाई, मछली तालाब एवं जानवरों के लिए पानी संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराया जायेगा। सिंचाई एवं अन्य घटकों पर बिजली उपयोग का खर्च हरियाणा में किसानों के लिए निर्धारित ट्यूबवैल की दरों का 30 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा देय होगा।
5. मछली का बीज डालने से लेकर बेचने तक का प्रोसेस संस्थान के संबंधित अधिकारी (नियंत्रण अधिकारी एवं फार्म प्रबंधक, फार्म सेक्सन) की सलाह से करनी होगी।
6. मछली एवं दूध को बेचने की दरें ठेकेदार एवं संस्थान की फार्म प्राइयूस डिस्पोजल कमेटी की सलाह से मिलजुल कर निर्धारित की जायेगी तथा इनको संस्थान के कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर बेचा जायेगा तथा शेष उत्पाद ठेकेदार अपनी इच्छा से कहीं भी बेच सकता है।
7. जानवरों की देख-रेख, बीमारी से बचाव, खान-पान आदि का प्रबन्धन ठेकेदार को संस्तुत की गई मानक तकनीक के अनुसार करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार अपने द्वारा लाये गये कटड़े या बछड़े को बेच सकता है तथा इससे प्राप्त आय ठेकेदार की होगी।
8. ठेकेदार की अनदेखी/लापरवाही की वजह से आंधी, तूफान, औलावृष्टि एवं अन्य पर्यावरण से होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. ठेकेदार को कृषि विविधीकरण परियोजना क्षेत्र पर 24 घंटे उपस्थित रहना होगा। कृषि विविधीकरण परियोजना क्षेत्र में उपस्थित सभी फसलों, मछली एवं जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। कोई/किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

10. कृषि विविधीकरण परियोजना के क्षेत्र में पड़ने वाले रास्तों, ढोलों एवं नालियों की साफ-सफाई, संस्थान के प्रभारी/नियंत्रण अधिकारी (फार्म शाखा) के कहने पर करनी होगी।
11. ठेकेदार को कृषि विविधीकरण क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलापों, आय एवं लागत का पूरा हिसाब हर महीने संस्थान के फार्म शाखा के संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य होगा।
12. कृषि विविधीकरण परियोजना में होने वाली कम्पोस्ट का उपयोग ठेकेदार फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए करेगा एवं इसको बेच नहीं सकता। जैविक गैस का उपयोग ठेकेदार अपने परिवार का खाना बनाने के लिए कर सकता है।
13. ठेकेदार द्वारा फार्म पर उपलब्ध संसाधनों या अन्य किसी भी वस्तु के नुकसान होने पर उसकी भरपाई संस्थान के निदेशक की निर्धारण अनुसार एवं उनकी अनुमति से करनी होगी।
14. कृषि विविधीकरण परियोजना में होने वाले उत्पाद को संस्थान के बाहर गेट पास के माध्यम से कार्यालय के समयानुसार (सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) ही जाने दिया जायेगा।
15. ठेका अवार्ड करने के लिए बन्द लिफाफे में निविदाएं आमन्त्रित की जायेगी एवं **20,000/- रुपये का बैंक डिमांड ड्राफ्ट ICAR Unit-CSSRI, Karnal** के नाम से धरोहर राशि (security money) के रूप में जमा करानी होगी। सफल उच्चतम बिडर की धरोहर राशि संस्थान में ठेका अवधि समाप्ति के एक माह बाद वापिस की जाएगी।
16. सफल बिडर/ठेकेदार को ठेका शुरू होने की तिथि से लेकर 10 दिन के अन्दर 25 प्रतिशत राशि संस्थान के खाते में जमा करानी होगी। यदि राशि 10 दिन के अन्दर जमा नहीं करायी तो बिडर को बिना सूचित किये उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी। शेष 75 प्रतिशत राशि 6-6 महीने पूरे होने पर 03 किश्तों में 10 दिनों के भीतर जमा करानी होगी अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। हालाँकि, निदेशक महोदय की पूर्वानुमति ठेके की देय राशि की अवधि 2 प्रतिशत प्रति माह की ब्याज दर के साथ बढ़ाई जा सकती है।
17. कृषि विविधीकरण परियोजना को दो वर्ष की अवधि के लिए ही ठेके पर दिया जायेगा। दो वर्ष बाद ठेके की अवधि को आपसी सहमति के बाद निदेशक महोदय की अनुमति से 5% बढ़ी हुई दर के साथ तीसरे वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
18. संस्थान परिसर में मदिरा/शराब का सेवन, लड़ाई-झगड़ा आदि ठेकेदार या उसके किसी भी सदस्य/संबंधित व्यक्ति द्वारा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
19. ठेकेदार या उसके किसी भी लेबर/सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर यह संस्थान उसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

20. ठेकेदार कृषि विविधिकरण परियोजना के किसी भी घटक को आगे उपठेकेदार को नहीं दे सकता है। ठेकेदार को इस प्रणाली के सभी फसल एवं जानवरों संबंधित घटकों की देख-रेख का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
21. संस्थान के निदेशक द्वारा बिना कारण बताये कृषि विविधिकरण परियोजना का ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
22. फर्म को किसी अन्य विभाग द्वारा ठेके आदि के कार्यों के लिये ब्लैक लिस्ट न किया गया हो।
23. नियम या शर्तों के अर्थ समझने या अमल में लाने अथवा किसी भी अन्य विवाद का निबटारा करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

मैंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं और इन्हें मंजूर करते हुए मैं प्रति एकड़/प्रति वर्ष रुपये _____ (रुपये _____) में ठेके पर लेने के लिए तैयार हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर: _____

नाम व पूरा पता: _____

टेलिफोन न. _____

दिनांक: